

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
अभिषेक सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी(अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर)  
अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/350

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील में  
जारी हुए

04.10.23

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं तथा लोक सूचना अधिकारी कार्यालय हाजा की टिप्पणी पत्रांक 370 दिनांक 26.09.2023 प्राप्त जिसमें उन्होंने अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा आरटीआई आवेदन में एक बिन्दू पर सूचना चाही गई जो निम्न प्रकार है कि कार्यालय संभागीय आयुक्त, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत शिकायत उपरान्त दर्ज परिवाद पत्रावली क्रमांक प. 13(1)(475)प/2019 के द्वारा दर्ज कर पात्र परिवारों के आवेदन निरस्त एवं अपात्रों को पट्टे वितरित एवं निजी खातेदारी में पट्टे जारी करने में दोषी पाये गए सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध की गई कार्यवाही मय जाच रिपोर्ट एवं नोटशीट सहित सम्पूर्ण पत्रावली की सत्य प्रमाणित प्रतिलिपि दें। उन्होंने अपनी टिप्पणी में यह भी अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 228 दिनांक 21.06.2023 के द्वारा जवाब प्रेषित किया गया है कि "आप द्वारा वांछित सूचना जॉच (Enquiry) के प्रकटन से सम्बन्धित है जिसके प्रदान किये जाने से जॉच कार्यवाही की प्रक्रिया में अड़चन एवं विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है तथा इस तरह की सूचना को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(H) के तहत प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं है।"

अतः अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना को सूचना का अधिनियम 2005 की 8(1)(H) के तहत प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं होने के कारण नहीं दी गई। कृपया अपील को खारिज कराने का श्रम करारें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना जॉच (Enquiry) के प्रकटन से सम्बन्धित है जो सूचना का अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(H) के तहत प्रदान किया जाना आवश्यक नहीं होने के कारण लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को नहीं दी गई है किन्तु इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 22 दिनांक 21.06.2023 से अपीलार्थी को अवगत भी कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को भिजवायी जावे तथा पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाब्ता दाखिल दफ़तर हो। आदेश सुनाया गया।

(डॉ० आरुषी मलिक)

अपील अधिकारी  
संभागीय आयुक्त  
जयपुर।